न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–61/2021/जिला टोंक

1. गिर्राज पुत्र मोरपाल,
2. राजू पुत्र मोरपाल,
3. सोराज पुत्र मोरपाल,
4. कैलाश पुत्र मोरपाल,

जति माली निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक।

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उनियारा, जिला टोंक।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय, टोंक दिनांक 26.07.2021 प्रकरण संख्या 65/2020 उनवानी गिर्राज बनाम तहसीलदार उनियारा में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री गिरीश शर्मा (अपीलांट अभि0)
राजकीय अभि0:– श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः–04.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा एल0आर0एक्ट धारा 91(3) के तहत ग्राम पंचाला के खसरा नम्बर 1551/1834, 1474/1918 कुल रकबा 1.18 हे0 किस्म चरागाह पर फसल काश्त की गई है तथा अमरूद का बगीचा लगाकर अतिक्रमण किया गया है। पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.09.2020 को अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित किया तथा तीन महिने के सिविल कारावास एवं फसल निलाम करने हेतु आदेश जारी किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा एक अपील जिला कलक्टर टोंक के यहां प्रस्तुत की। इस पर सुनवाई करने के बाद अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार उनियारा के निर्णय को उनके द्वारा यथावत रखा गया। जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 26.07.2021 को जारी किया गया। उक्त दोनो निर्णय 18.09.2020 एवं 26.07.2021 से व्यथित होकर इन आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत की जा रही है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

1. तहसीलदार उनियारा द्वारा चार व्यक्तियों के विरूद्ध एक ही प्रकरण में धारा 91 के तहत कार्यवाही की है। जो गलत है।

2. अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं करवायी।

3. अपीलांट परिक्षण न्यायालय द्वारा पटवारी द्वारा तैयार एकपक्षीय मौका रिकोर्ड के आधार पर कार्यवाही की गई है जबकि अपीलांट का खसरा नम्बर 1551/1834, 1474/1918 पर एक इंच का भी कब्जा नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। ना ही अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

4. अपीलांट स्वयं की भूमि पर ही काबिज है तथा अमरूद का बगीचा लगा रखा है। अतः अपील को स्वीकार किया जाये।

5. अपीलांट द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(32) रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल प्रस्तुत किया।

6. अपील के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, वकील अपीलांट ने बहस के दौरान बताया कि विवादित खसरा नम्बर की किस्म भूमि चरागाह है। तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.09.2020 के द्वारा एल0आर0एक्ट की धारा 91(3) के तहत अपीलांट के विरूद्ध निर्णय दिया है। चार लोगो के विरूद्ध एक ही नोटिस दिया गया था जो धारा 5 सीपीसी का उल्लघंन है। जिला कलक्टर टोंक के यहां अपीलांट की अपील दिनांक 29.10.2020 दर्ज करवायी गई। जिसे उन्होनें दिनांक 26.07.2021 को खारिज की। यह भी बताया कि मौका रिपोर्ट पर अपीलांट व स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। मकान और अमरूद का बगीचा मेरी खातेदारी में है। अपील स्वीकार की जायें। बहस में राजकीय अधिवक्ता ने दोनों निर्णय को विधिवत माना है तथा यह कहा कि अपीलांट को घोषित करना चाहिए कि वह अतिक्रमी नहीं है तथा यदि उसे उसकी खातेदारी से बेदखल करना चाहता है तो वह धारा 188 आरटीए के तहत चाराजोई कर सकता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.07.2021 का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(32) रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार उनियारा द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 18.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त करते ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी जायेंगी। इस समय उक्त आदेश की फोटोप्रति प्रस्तुत की जा रही है बाद में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी जायेंगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा तहसीलदार उनियारा के आदेश दिनांक 18.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपी को प्राप्त किया जाना भी प्रकट किया जा रहा है। एक शपथ पत्र भी उनके द्वारा दिया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांट स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है तथा तहसीलदार उनियारा के आदेश दिनांक 18.09.2020 की फोटोप्रति लिया जाने का आदेश दिया जाता है। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा उठाये गये आक्षेपों पर विचार किया जाना है। यह सही है कि अपीलांट नम्बर 1 से 4 के विरूद्ध एक ही निर्णय से तहसीलदार उनियारा द्वारा आदेश दिया गया। जबकि चारों अपीलांट के विरूद्ध अलग–अलग पत्रावली बनाई जाकर अलग–अलग निर्णय किया जाना चाहिए था। तहसीलदार उनियारा के प्रकरण संख्या 1549/2020 की ऑर्डरशीट का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 25.08.2020 को दर्ज किया गया तथा दिनांक 18.09.2020 को फैसल किया गया। दिनांक 18.09.2020 की प्रोसिडिंग से स्पष्ट है कि अपीलांट की तामील नहीं हुई तथा बिना तामील के ही तहसीलदार उनियारा द्वारा गलत तरीके से आदेश दिनांक 18.09.2020 जारी किया गया। साथ ही तहसीलदार उनियारा द्वारा एल0आर0एक्ट की धारा 91 के तहत जो नोटिस जारी किया गया जिसमें सभी अपीलांट को एक ही नोटिस से सम्मन किया जाना पाया जाता है। उक्त नोटिस के पीछे की ओर राजु लालामाली एवं संभवतः कालूराम ही अंकित किया हुआ है। पटवार हल्का पंचाला के पटवारी विजेन्द्र सिंह गुर्जर के बयान का अवलोकन किया गया। यह प्रिटेंड फॉर्म में है तथा उस पर यह कौनसी तारिख में बनाया गया यह अंकित नहीं किया गया तथा अतिक्रमण के रूप में मकान,उड़द, अमरूद का बगीचा अंकित किया हुआ है। यह भी अंकित किया हुआ है कि संवत 2076 में भी भौतिक रूप से बेदखल किया गया। किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। संवत 2076 में तहसीलदार उनियारा के निर्णय मिशल संख्या 1888/19 निर्णय दिनांक 17.10.2019 का अवलोकन किया गया। इसके तहत यह अंकित किया हुआ है–''अतिक्रमी का अतिक्रमण मानते हुए उक्त रकबे से बेदखल किया जाता है तथा फसल जब्त करने के आदेश दिये जाते है।'' पटवारी रिपोर्ट प्रकरण 1888/2019 के अनुसार 0.74 हे0 में से उड़द 0.56 हे0 पर तथा मकान 0.20 हे0 पर एवं 0.42 हे0 पर बगीचा अमरूद होकर नाजायज कब्जा बताया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से बहस में यह बात बताई गई कि उनका विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। दस्तावेज पटवारी रिपोर्ट मिशल संख्या 1888/2019 से स्पष्ट है कि पूर्व में भी संवत 2074 में विवादित भूमि पर मकान एवं अमरूद का बगीचा था तथा संवत 2077 में भी इसी क्षेत्रफल अनुरूप मकान, अमरूद के बगीचे एवं उड़द की फसल होना बताया गया। स्पष्ट है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 1888/2019 में मात्र कागजी कार्यवाही कर खानापूर्ति की गई है। संवत 2076 में उक्त भूमियों बाबत निर्णय दिनांक 17.10.2019 को दिया गया और 2077 में इन्हीं भूमियों बाबत निर्णय दिनांक 18.09.2020 को दिया गया है। मात्र एक साल की अवधि में किस प्रकार बगीचा व मकान बना दिया गया है। यह आश्चर्य जनक है। तहसीलदार उनियारा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.09.2020 में उक्त तथ्यों को नहीं देखा जाकर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना है जो गलत है। इसी बात को प्रथम अपील अधिकारी द्वारा भी नजरअंदाज करते हुए निर्णय किया गया है। जब अपीलांट द्वारा यह बता दिया गया कि उनका विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है तो सीमाज्ञान करवाया जाना उचित होगा। ताकि अपीलांट द्वारा उठाये गये आक्षेप का निराकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

हो जायें। यह नहीं किया गया जो गलत है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं करवायी गई। धारा 5 सीपीसी का अवलोकन नहीं किया गया तथा पश्चातवृति अतिक्रमी नहीं होते हुए भी अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना है, सीमाज्ञान आवश्यक है। तहसीलदार के उनियारा के पूर्व आदेश दिनांक 17.10.2019 की कागजी पालना होना दृष्टिगोचर होता है। इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट पश्चातवृति अतिक्रमी नहीं है। अतः तहसीलदार उनियारा के निर्णय दिनांक 18.09.2020 एवं जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 26.07.2021 को अपास्त किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार उनियारा प्रकरण संख्या 1549/2020 दिनांक 18.09.2020 एवं जिला कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 26.07.2021 मिसल संख्या 65/2020 अपास्त किये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested